**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 780वी बैठक दिनांक 11.04.2023 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 780वी बैठक दिनांक 11.04.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–**

| क्र | प्रकरण क्र. | अधिसूचित श्रेणी | परियोजना | SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित | प्राधिकरण का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9709/2023 | 1(a) | पत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 2. | 9710/2023 | 1(a) | पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 3. | 9705/2023 | 1(a) | पत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 4. | 9692/2023 | 1(a) | पत्थर खदान | For ToR | स्पष्टीकरण एवं Delisted |
| 5. | 9693/2023 | 1(a) | फर्शीपत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 6. | 9697/2023 | 1(a) | पत्थर खदान | For ToR | स्पष्टीकरण एवं Delisted |
| 7. | 9699/2023 | 1(a) | पत्थर खदान | For ToR | स्पष्टीकरण एवं Delisted |
| 8. | 9700/2023 | 3(a) | मिनी स्टील प्लान्ट | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 9. | 9701/2023 | 8(a) | भवन निर्माण | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 10. | 9702/2023 | 1(c) | रिवरवैली परियोजना | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 11. | 9696/2023 | 1(a) | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| 12. | 9695/2023 | 1(a) | मुरूम खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| 13. | 9708/2023 | 1(a) | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| 14. | 9711/2023 | 1(a) | फर्शीपत्थर खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| 15. | 9712/2023 | 1(a) | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **16.** | 9707/2023 | 1(a) | लेटेराईट खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| **17.** | 8959/2022 | 1(a) | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| **18.** | 7789/2020 | 1(a) | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| **19.** | 9720/2023 | 1(a) | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |
| **20.** | 9739/2023 | 1(a) | मुरूम खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति | स्वीकृत |

**1. प्रकरण क्र 9709/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती उमा पालीवाल पत्नि श्री संतोष पालीवाल, निवासी 71, ग्राम ताजखेड़ा, तहसील ताल, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 04, ग्राम खारवाकलां, तहसील ताल, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वियन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय

(मुजीबुर्रहमान खान)
**सदस्य सचिव**

(अनिल कुमार शर्मा)
**सदस्य**

(अरूण कुमार भट्ट)
**अध्यक्ष**

प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

**2. प्रकरण क्र. 9710/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.बी.ए. स्टोन प्रा.लि. अधिकृत व्यक्ति, श्री बनेसिंह ठाकुर आत्मज श्री केशरसिंह ठाकुर, निवासी 158, कंचन बाग, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 व एम सेण्ड 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 510, 511/1, 511/2, 514, 515/1, ग्राम पितावली, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

3. **प्रकरण क्र. 9705/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मेहरूद्दीन आत्मज श्री चिरागुद्दीन, निवासी ग्राम बालसमुद, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 97 पैकी, ग्राम लोधीपुरा, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

**4. प्रकरण क्र 9692/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अजय आत्मज श्री बाबू सिंह, निवासी खेरे की देवी के पास, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.752 हेक्टेयर, खसरा 1247, ग्राम चौका, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 54 दिनांक 06.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल 05 खदान स्वीकृत होना बताया गया है जिसका कुल रकबा 13.352 हेक्टेयर है जबकि इन खदानों के अतिरिक्त 02 अन्य खदान भी श्री विनोद कुमार यादव खसरा नम्बर 1564 रकबा 3.0 हे. एवं श्रीमती किरण सिंह खसरा नम्बर 1559 रकबा 2.0 हे. स्वीकृत होकर संचालित है। जिसकी जानकारी खनिज अधिकारी द्वारा अपने एकल प्रमाण पत्र में नहीं दी गई है।

इसी प्रकार SEIAA में पंजीबद्ध प्रकरण क्र. 9053/2022 श्री विनोद कुमार यादव को स्वीकृत पत्थर खदान खसरा नम्बर 1564 रकबा 3.0 हेक्टेयर के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर द्वारा पत्र क्र. 2574 दिनांक 05.08. 2021 के माध्यम 01 अन्य खदान रकबा 2.0 हेक्टेयर की स्वीकृत होना बताया गया है। जिसमें भी जिला खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र में 05 अन्य खदानों की जानकारी नहीं दी गई।

**अतः प्रकरण में कलेक्टर जिला छतरपुर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी संबंधित अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर 15 दिवस में**

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |

प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को **Delist** किया जाये, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

**5. प्रकरण क्र 9693/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राठौर स्टोन इण्डस्ट्रीज, प्रोपराईटर, श्री लोकेन्द्र राठौर आत्मज श्री सूरज नारायण राठौर, निवासी रतन कॉलोनी, जीवाजीगंज, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 954, ग्राम जखौदा, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।**

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।

IX. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

X. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XI. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में संचालित अन्य खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में निहित समस्त शर्तों के अनुपालन का बिन्दुवार विस्तृत विवरण ईआईए में विशेष रूप से समाहित किया जाये।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

6. **प्रकरण क्र 9697/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री वीर सिंह परिहार, निवासी मकान न. 41, वार्ड न. 3, मंदिर के सामने, ग्राम व पोस्ट चौका, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हेक्टेयर, खसरा 1247, ग्राम चौका, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 55 दिनांक 06.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल 05 खदान स्वीकृत होना बताया गया है जिसका कुल रकबा 13.352 हेक्टेयर है जबकि इन खदानों के अतिरिक्त 02 अन्य खदान भी श्री विनोद कुमार यादव खसरा नम्बर 1564 रकबा 3.0 हे. एवं श्रीमती किरण सिंह खसरा नम्बर 1559 रकबा 2.0 हे. स्वीकृत होकर संचालित है। जिसकी जानकारी खनिज अधिकारी द्वारा अपने एकल प्रमाण पत्र में नहीं दी गई है।

इसी प्रकार SEIAA में पंजीबद्ध प्रकरण क्र. 9053/2022 श्री विनोद कुमार यादव को स्वीकृत पत्थर खदान खसरा नम्बर 1564 रकबा 3.0 हेक्टेयर के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर द्वारा पत्र क्र. 2574 दिनांक 05.08. 2021 के माध्यम 01 अन्य खदान रकबा 2.0 हेक्टेयर की स्वीकृत होना बताया गया है। जिसमें भी जिला खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र में 05 अन्य खदानों की जानकारी नहीं दी गई।

**अतः प्रकरण में कलेक्टर जिला छतरपुर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी संबंधित अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

7. प्रकरण क्र. 9699/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री कृष्णा यूनिवर्स, श्री ब्रजेन्द्र सिंह गौतम आत्मज श्री बलबीर सिंह गौतम, निवासी डी–48, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी, सटई रोड़, छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |

**) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 100000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.80 हेक्टेयर, खसरा 1247, ग्राम चौका, तहसील छतरपुर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 53 दिनांक 06.01.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल 05 खदान स्वीकृत होना बताया गया है जिसका कुल रकबा 13.352 हेक्टेयर है जबकि इन खदानों के अतिरिक्त 02 अन्य खदान भी श्री विनोद कुमार यादव खसरा नम्बर 1564 रकबा 3.0 हे. एवं श्रीमती किरण सिंह खसरा नम्बर 1559 रकबा 2.0 हे. स्वीकृत होकर संचालित है। जिसकी जानकारी खनिज अधिकारी द्वारा अपने एकल प्रमाण पत्र में नहीं दी गई है।

इसी प्रकार SEIAA में पंजीबद्ध प्रकरण क्र. 9053/2022 श्री विनोद कुमार यादव को स्वीकृत पत्थर खदान खसरा नम्बर 1564 रकबा 3.0 हेक्टेयर के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर द्वारा पत्र क्र. 2574 दिनांक 05.08.2021 के माध्यम 01 अन्य खदान रकबा 2.0 हेक्टेयर की स्वीकृत होना बताया गया है। जिसमें भी जिला खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र में 05 अन्य खदानों की जानकारी नहीं दी गई।

**अतः प्रकरण में कलेक्टर जिला छतरपुर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों की जानकारी संबंधित अधिकारी से स्थल निरीक्षण करवाकर 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये, तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

8. **Case No 9700/2023** Prior Environment Clearance for Mini Steel Plant for Expansion in production capacity from 24000 MTPA to 120000 MTPA of Iron TMT Bards, Round Angle, Channels at Plot No. 259/5 Lebad, Tehsil & District-Dhar (MP) by Shri Ashish Virendra Bansal, Director, M/s Impex Commercial Private Limited, R/o G-1, Indrasukh Apartment, 15A, Shree Nagar Annex District-Indore (MP)- 452008. Email: icplindore@gmail.comMob: 9970332106 Category-3(a) Metallurgical Industries (Ferrous and non -Ferrous).Envt. Consultant:M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.)

   1. उक्त मिनी स्टील प्लांट प्लॉट नंबर 259/5 ग्राम लेबाद, तहसील और जिला–धार (एमपी) में स्थित है जो आयरन, टीएमटी बाड्र्स, राउंड एंगल की उत्पादन क्षमता को 24,000 एमटीपीए से बढ़ाकर 1,20,000 एमटीपीए करने के लिए प्रस्तावित है।
   2. जल और वायु अधिनियम धारा के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, प्राप्त consent के आधार पर उद्योग 2006 से पहले से संचालन में है।बाजार की मांग और उपलब्ध infrastructure

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

में कंपनी 10 टन क्षमता की एक और इंडक्शन फर्नेस स्थापित करके उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसका विस्तार निम्नानुसार है:

| Product | Existing capacity | Proposed capacity | Capacity after expansion | Estimated cost after expansion |
|---|---|---|---|---|
| Iron TMT Bars, Round Angle, Channel | 24000 MTPA | 96000 MTPA | 120000 MTPA | 22.0 Crores |

3. परियोजना हेतु SEAC की 631 वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 को ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र. 10 से 12 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

1. प्रस्तावित इकाई से उत्सर्जित Solid Waste का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उपायों का उल्लेख EIA रिपोर्ट में करे ।
2. परियोजना स्थल के निकट स्थित इकाई का पूर्ण विवरण एवं पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन की कार्यवाही ईआईए रिपोर्ट में समावेश करें।
3. ग्लोबल वार्मिंग क्षमता और औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन फुटप्रिंट और इसकी कमी के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और ईआईए में प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ चर्चा की जानी चाहिए।
4. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एव $CO_2$ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप में किये जाने हेतु ईआईएमेंचर्चा की जानी चाहिए।
5. गंध नियंत्रण के लिए EIA रिपोर्ट में विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करे।
6. प्रस्तावित इकाई से प्रक्रिया उत्सर्जन (process emission)का विवरण और उसके नियंत्रण की व्यवस्था की ईआईए में चर्चा की जानी चाहिए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल किया जाना चाहिए ।
8. धातुकर्म एवं अन्य उत्पाद निर्माण के दौरान उतपन्न हुई अनुपयोगी ऊष्मा एवं ताप का उचित प्रबंधन एवं तकनीकी दृष्टि से संरक्षण उपायों का कैसे उपयोग किया जायेगा विस्तृत विवरण दें।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

9. **Case No 9701/2023:**Environment Clearance for Construction of 500 bedded Hospital & 100 seated Medical College at Khasra No. 1549, 1551, 1552(P), 45/1, 47/1, Village-Kotma and Chapa, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol, (MP[Total Plot Area-160638.65 sqm, Total

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Built-up Area-46249.43 sqm)) by Shri Ashish Patel, Divisional Manager, MPRDC, Behind Gandhi Stadium, Ward No. 8, Pandav Nagar, District-Shahdol (MP)-484001 Env. Consultant: M/s. Oceao Enviro Management Solutions India Pvt. Ltd. Noida, UP

1. उक्त प्रकरण खसरा नंबर 1549, 1551, 1552 (पी), 45/1, 47/1, ग्राम–कोतमा एवं चापा, तहसील–सोहागपुर, जिला–शहडोल, (म.प्र.)में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल और 100 सीट वाले मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए पर्यावरण उल्लघन के पश्चात् पर्यावरण मंजूरी का है।प्रश्नाधीन प्रकरण "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत् विचाराधीन है।
2. परियोजना का कुल कुल प्लॉट क्षेत्र –160638.65 वर्गमीटर, तथा कुल निर्मित क्षेत्र–46249.43 वर्गमीटरहै ।
3. SEAC में प्रस्तुति के दौरान परियोजना प्रस्तावकने कहा कि यह एक उल्लंघन परियोजना है जिसमें परियोजना 100 प्रतिशत निर्माण पूर्ण हो चूका है।प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी पाया गया कि परियोजना के पूर्व की ओर एक तालाब परियोजना स्थल से करीब है, इसलिए एचएफएल (HFL) को ध्यान में रखते हुए इसकी सुरक्षा योजना पर ईआईए रिपोर्ट में चर्चा की जाएगी।
4. इसी प्रकार, समिति द्वारा पिछली गूगल छवियों से यह पाया गया कि परियोजना स्थल पर निर्माण से पहले पेड़ों की संख्या अस्तित्व में थी, इस सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया की निर्माण शुरू होने से पहले साइट पर पेड़ों की सूची प्रस्तुत करेगा, कितने पेड़ कटे गए का अनुमति का विवरण, हरित पट्टी विकास योजना आदि की ईआईए रिपोर्ट में चर्चा करेगा ।
5. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 631वीं दिनांक 18.03.2023 प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा यह देखा गया कि यह एक उल्लंघन परियोजना है जिसमें पूर्व ईसी के बिना 100 प्रतिशतका निर्माण पूरा किया गया है।
6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 631वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 12 से 15 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

- परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैद्यानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।
- साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।
- परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का निमार्ण न करे। चल रहे समस्त निमार्ण कार्य तत्काल बंद करे।

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

- साथ ही परियोजना प्रस्तावक यह शपथ पत्र भी देगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, अन्य सभी न्यायालयों एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के सभी परियोजना के संबंध में दिये गये वैद्यानिक निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षरशः पालन करेगा एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का पर्यावरण उल्लघंन की पुर्नरावृत्ति नहीं करेगा
- प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक/सलाहकार पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेगा। साथ ही इनके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिये उपचार योजना प्रस्तावित करेगा।
- प्रतिवेदन में निर्मित भवन का खुला स्थान (MOS) Front, Side & Back MOS की वास्तविक माप कार्य स्थल पर क्या है उसे मानचित्र में नगर निगम से प्रमाणित कर संलग्न करेगा। साथ ही नगर निगम से भवन निर्माण के पूर्व ली गई भवन अनुज्ञा एवं मानचित्र, संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, से स्वीकृत लेआउट एवं पत्र का पठनीय मानचित्र संलग्न करेगा।
- परियोजना क्षेत्र और उसके आसपास की सामाजिक–आर्थिक स्थिति और परियोजना के डिजाइन और संचालन पर उनके प्रभाव का अध्ययन करें।
- भविष्य में विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए प्रस्तावित स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रस्तावित ईआईए में इस बिंदु पर विशेष रूप से चर्चा करें।
- परियोजना प्रस्तावक परिसर के भीतर यथासंभव अधिकतम सौर ऊर्जा/प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने की प्रयास का उल्लेख करे ।
- भविष्य में विद्युत वाहनों के उपयोग में वृद्धि को देखते हुए परियोजना स्थल में पर्याप्त संख्या में विद्युत चार्जिंग पोर्ट स्थापित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। प्रस्तावित ईआईए में इस बिंदु पर विशेष रूप से उल्लेख करे
- परियोजना प्रस्तावक स्थापित/प्रस्तावित संरचनाओं के विवरण के साथ परिसर में प्राप्त कुल वर्षा जल, वर्षा जल संचयन की क्षमता और संचयन की जाने वाली मात्रा के संबंध में गणना ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।
- चूँकि परियोजना का 100प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है अतः उल्लघंन (Violation) के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा जारी SOP (07.07.21) लागू दिनांक 28.01.2022 अनुसार परियोजना में विभिन्न मदों पर हुए व्यय का चार्टड एकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित व्यय का प्रमाण पत्र ईआईए के साथ संलग्न करें। जिसके आधार पर दांडिक राशि का निर्धारित किया जा सके।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

10. **Case No 9702/2023:**Prior Environment Clearance for CIC Balancing Reservoir is proposed in the Kanhan Sub basin to irrigate 35000 ha. CCA in an area of 852.48 ha. at Tehsil- Pandhurna, District-Chhindwara (MP) by Executive Engineer, Office of the

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

Executive Engineer, Water Resources Division, In Front of T.B. Senoterium, Chhindwara (MP)-480001. Category-1-c, [under River Valley and Hydroelectric Projects]

1. CIC Balancing Reservoirपरियोजना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की पांढुर्ना तहसील में 35,000 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र की सिंचाई के लिए छिंदवाड़ा जिले के कन्हान उप बेसिन में निर्माण हेतु प्रस्तावित है।यह छिंदवाड़ा सिंचाई परिसर योजना के तहत प्रस्तावित तीन बांधों में से एक है।

2. छिंदवाड़ा शहर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छिंदवाड़ा जिले की पांढुर्ना तहसील के भुयारी गांव के पास सीआईसी बैलेंसिंग जलाशय का निर्माण प्रस्तावित है।प्रस्तावित जलाशय की क्षमता 95 एमसीएम है, अनुमानित लंबाई 1970 मीटर है। Bedlevel 417 MSL और FRL448 मीटर है।

3. जलाशय से लिफ्ट करने और 35000 हेक्टेयर को सिंचाई के लिए पाइप लाइन के माध्यम से कमांड क्षेत्र में ले जाने के लिए एक पंप हाउस का निर्माण किया जायेगा। पंप हाउस को 1.55 क्यूमेक्स पानी लिफ्ट करने के लिए 20.37 मेगावाट बिजली एवं की आवशयकता होगी जिससे कमांड क्षेत्र के 102 गांवों को कवर किया जायेगा ।

4. CIC Balancing Reservoir परियोजना के घटकों और पहुंच सड़कों के विकास के लिए लगभग 74.21 हेक्टेयरवन भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसलिए, वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण से फारेस्ट क्लीयरेंस लिया जाना अनिवार्य है।

5. निकटतम संरक्षित क्षेत्र अर्थात पेंच राष्ट्रीय उद्यान की दूरी परियोजना स्थल से 37.66 किमी है जो 10 किमी से अधिक है, इस प्रकार, इस परियोजना के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है और परियोजना general condition से परे है ।

6. इस प्रस्तावित संतुलन जलाशय और कमान क्षेत्र के विकास की कुल लागत 675 करोड़ रुपये आंकी गई है।
7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 631वीं बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 15 से 17 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitivearea , forestarea से संबंधित समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाने वाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

iii. site specific management plan का विस्तृत अध्यन कर EIA में उल्लेख करे ।

iv. sand की कमी को देखते हुए sand के पुर्नउपयोग का प्रावधान को EIA में उल्लेख करे ।

v. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे ।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

11. **प्रकरण क्र.** 9696/2023 **परियोजना प्रस्तावक श्री प्रेमनारायण नागर आत्मज श्री मांगीलाल नागर, निवासी ग्राम भाटखेड़ी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 950/1, ग्राम भाटखेड़ी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **राजगढ़ जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल रोकने की संरचना से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मौसमी **नाला से 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में 01 पेड़ लगा है, जिसे काटा नहीं जाये एवं उसका सरंक्षण किया जाये।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

| क्र. | प्रस्तावित स्थान | पौधों की प्रजातियॉं | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– पीपल, सिरस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, अचार, नीम, सीताफल, आम, चिरोल आदि। | 370 |
| 2. | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर) | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–जंगल जलेबी, नीम, सिरस्सू, पीपल, करंज, आदि। | 300 |
| 3 | माइन लीज के पूर्व की ओर प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–*चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिरस्सू पीपल, बरगद, करंज* आदि। | 300 |
| 4 | ग्रामीणों में पौधो का वितरण | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–*आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन*आदि। | 1430 |
| | | योग | 2400 |

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम भाटखेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में 03 बी पी मशीन, 03 शुगर टेस्टिंग मशीन एवं चिकित्सक अधिकारी के परामर्श अनुसार आवश्यक सामग्री प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

**परियोजना प्रस्तावक श्री प्रेमनारायण नागर आत्मज श्री मांगीलाल नागर, निवासी ग्राम भाटखेड़ी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 950/1, ग्राम भाटखेड़ी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला राजगढ़ के पत्र क्र. 276 दिनांक 07.03.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.03.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

12. **प्रकरण क्र. 9698/2023 श्रीमती अंजना सिंह चंदेल पत्नि श्री यादवेन्द्र सिंह चंदेल, निवासी मकान न. 183, वार्ड नं. 05, चन्द्रशेखर वार्ड, धुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.237 हेक्टेयर, खसरा 1132/1, 1132/2, ग्राम घुवारा, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्‌दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **छतरपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में जीवित वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उसका सरंक्षण किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

| क्रं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉं | मात्रा |
|---|---|---|---|

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य

(अरूण कुमार भट्‌ट) अध्यक्ष

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम,सीताफल, एवं मुनंगा अमरूद अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया। | 460 |
| 2. | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) | नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, | 100 |
| 3 | घुवारा ग्रामवासियों में वितरण हेतु | बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम,रुद्राक्ष, सीताअशोक, अमरूद, इत्यादि । | 920 |
| 4 | शासकीय विद्यालय घुवारा में | कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मैालश्री गुलमोहर। | 20 |
| | | योग | 1500 |

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम घुवारा के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के बैठने के लिए 10 टेबल – कुर्सी प्रदान की जाये एवं बच्चो के पेयजल हेतु आर.ओ. स्थापित किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

**परियोजना प्रस्तावक श्रीमती अंजना सिंह चंदेल पत्नि श्री यादवेन्द्र सिंह चंदेल, निवासी मकान न. 183, वार्ड नं. 05, चन्द्रशेखर वार्ड, धुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.237 हेक्टेयर, खसरा 1132/1, 1132/2, ग्राम घुवारा, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खजिनकर्म, भोपाल के पत्र क्र. 14018 दिनांक 11.10.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 10.10.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा) सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 780वी बैठक दिनांक 11.04.2023 का कार्यवाही विवरण**

13. **प्रकरण क्र. 9708/2023 श्रीमती फुलमईत बाई (विधिक वारिस) स्व. श्री फगुआ आत्मज श्री फूती, निवासी खोगा भीमसेला, जशपुर (छ.ग) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24092 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.440, हेक्टेयर, खसरा 7/1, 7/21, ग्राम हर्रहा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **रीवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मौसमी **जलाशय के HFL से एवं मकान से 100 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 15 पेड़ो में से काटे जाने वाले 07 पेड़ो के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 70 पौधों का सरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

| कं. | प्रस्तावित स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1. | बैरियर जोन | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *पीपल, सिरसू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, अचार, नीम, चिरोल, खमेर* आदि। | 450 |

| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज, सफेद कस्टॉर आदि। | 120 |
| 3. | माइन लीज के प्रस्तावित गैर खनन क्षेत्र | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– *चिरोल, खमेर, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, बरगद, करंज* ,नीम आदि। | 300 |
| 4. | ग्राम हररहा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ। | 50 |
| 5. | ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन आदि। | 880 |
| | | योग | 1800 |

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम हर्रहा के शासकीय माध्यमिक स्कूल में 01 कम्प्यूटर, 01 प्रिन्टर मय टेबल के साथ प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

**परियोजना प्रस्तावक श्रीमती फुलमईत बाई (विधिक वारिस) स्व. श्री फगुआ आत्मज श्री फूती, निवासी खोगा भीमसेला, जशपुर (छ.ग) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 24092 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.440, हेक्टेयर, खसरा 7/1, 7/21, ग्राम हर्रहा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्र. 2150 दिनांक 30.05.**

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |

**2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 29.05.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

14. **प्रकरण क्र. 9711/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री शिवम राठौर आत्मज श्री अजय सिंह राठौर, निवासी 747/1, वार्ड नं. 34 वर्ग की गोठ, जनकगंज, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0, हेक्टेयर, खसरा 1269, ग्राम अरदौनी, तहसील मुरैना हाल, तहसील बामोर, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **मुरैना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

| कं. | प्रस्तावित स्थान | पौधों की प्रजातियाँ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–सफेद कस्टॉर, पीपल, सिस्सू, बबूल, जंगल जलेबी, अगेव स्लिप्स , आवला, चिरोल, गूगल , अरनी, कीकड़ आदि। | 380 |
| 2. | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर) | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज, सफेद कस्टॉर, आदि। | 465 |
| 3 | ग्राम भदोरा के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–*कचनार, सिस्सू, नीम, बरगद, पीपल* आदि। | 50 |
| 4. | ग्रामीणों में पौधो का वितरण | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः–*आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन*आदि। | 1505 |
| | | योग | 2400 |

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम अरदौनी के शासकीय प्राथमिक शाला में 15 बेंच एवं डेस्क, 02 ब्लैकबोर्ड एवं 02 टेबल प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

**परियोजना प्रस्तावक श्री शिवम राठौर आत्मज श्री अजय सिंह राठौर, निवासी 747/1, वार्ड नं. 34 वर्ग की गोठ, जनकगंज, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र) द्वारा फर्शी पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0, हेक्टेयर, खसरा 1269, ग्राम अरदौनी, तहसील मुरैना हाल, तहसील बामोर, जिला मुरैना (म.प्र.)। संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 17516–19 दिनांक 21.12.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.12. 2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

15. **प्रकरण क्र.** 9712/2023 **परियोजना प्रस्तावक** मेसर्स एस.एस. क्रेशर, श्री राहुल सुखवाल, निवासी नियर **ओल्ड चोंगी नाका, मकान न. 38, ब्राह्मपुरी सेन्थी, चित्तौडगढ़ (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,17,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.40, हेक्टेयर, खसरा 510/1, 510/2, 511, 596, ग्राम अम्बोदिया, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 630वी बैठक दिनांक 17.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के

| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की संड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | हरित पट्टी(7.50 मीटर बेरियर ज़ोनमें 950 मीटरकी लम्बाई पर तीन लाइनो मेंवृक्षारोपण किया जायेगा ) | आम,नीम, खमेर, जंगल जलेबी इत्यादि | 750 |
| 2. | पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(1400 मीटर) के दोनों ओर 4 फ़ीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में | नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि | 700 |
| 3 | ग्रामीणों में पौधों का वितरण | आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि | 1450 |
| | | योग | 2900 |

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।

- ग्राम अम्बोडिया के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 05 मेडिकल बेड (20000 X 5 ) प्रदान किये जाये तथा चिकित्सीय अधिकारी के परामर्श से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाये।

- ग्राम अम्बोडिया में ग्रामवासियों के लिये मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों के लिये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन वर्ष में 01 बार किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

**परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.एस. क्रेशर, श्री राहुल सुखवाल, निवासी नियर ओल्ड चोंगी नाका, मकान न. 38, ब्राह्मपुरी सेन्थी, चित्तौडगढ़ (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,17,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.40, हेक्टेयर, खसरा 510/1, 510/2, 511, 596, ग्राम अम्बोदिया, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला उज्जैन का आदेश क्र. 33 दिनांक 10.01.2023 के माध्यम से उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है एवं संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म इन्दौर द्वारा पत्र क्र. P76 दिनांक 20.01.2023 अनुसार 24 माह हेतु खनन योजना अनुमोदित की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09.01.2025 तक वैध मान्य रहेगी।**

16. **प्रकरण क्र. 9707/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गोदावरी माईन्स एंड मिनरल्स, श्री महेश कुमार उपाध्याय, निवासी 211, चन्द्रिका अपार्टमेंट परिसर, रतन कॉलोनी, गोरखपुर थाने के पीछे, बनारसी दास भनोट रोड़, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 31555 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.354, हेक्टेयर, खसरा 3/1/2/2, 3/2/3, 3/2/2, 3/1/2/3, ग्राम जरिहा, तहसील मझगंवा, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 631वी बैठक दिनांक 18.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 631वी

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 780वी बैठक दिनांक 11.04.2023 का कार्यवाही विवरण

बैठक दिनांक 18.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

(i) **सतना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **आबादी से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

| क. | प्रस्तावित स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम,सीताफल, एवं मुनंगा अमरूद अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया। | 945 |
| 2. | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर) | नीम,आम,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ, | 180 |
| 3 | जरिहा ग्रामवासियों में वितरण हेतु | बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम,रुद्राक्ष, सीताअशोक, अमरूद, इत्यादि । | 3610 |
| 4 | जरिहा शासकीय विद्यालय में | कदंब, अमलतास,मोलश्री, अशोक, नीम, गुलमोहर। | 30 |
| 5 | गैर–खनन क्षेत्र में (1.66 हेक्टेयर) | बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनंगा, आम,सीताफल, अमरूद एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया। | 500 |
| | | योग | 5265 |

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- आखों एव ओरल हाइजीन के इलाज के लिए सतगुरु सेवा ट्रस्ट में राशि का सहयोग प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

**परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गोदावरी माईन्स एंड मिनरल्स, श्री महेश कुमार उपाध्याय, निवासी 211, चन्द्रिका अपार्टमेंट परिसर, रतन कॉलोनी, गोरखपुर थाने के पीछे, बनारसी दास भनोट रोड़, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 31555 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.354, हेक्टेयर, खसरा 3/1/2/2, 3/2/3, 3/2/2, 3/1/2/3, ग्राम जरिहा, तहसील मझगंवा, जिला सतना (म.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 10065–66 दिनांक 27.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.07.2052 तक वैध मान्य रहेगी।**

17. **प्रकरण क्र. 8959/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री ब्रजनारायण शर्मा आत्मज श्री वृन्दावन शर्मा, निवासी बडेरिया रूपनगर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 23636 घन प्रतिवर्ष, रकबा 1.905 हेक्टेयर, खसरा 375, ग्राम लहदपुर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ToR की शर्तो में Cluster में सम्मिलित खदानों का Cumulative Effect एवं अनुसार Cluster Mangement Plan एवं कलस्टर में सम्मिलित अन्य खदानों द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं की जानकारी**

| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं की गई है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

18. **प्रकरण क्र.** 7789/2020 **परियोजना प्रस्तावक श्री अरूण यादव आत्मज स्व. श्री संतोष कुमार यादव, ग्राम राजगढ़, तहसील बिजौली, जिला झांसी (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 44923 घन प्रतिवर्ष, रकबा 3.037 हेक्टेयर, खसरा 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, ग्राम वनगांवहार, तहसील ओरछा, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क, मानव बसाहट व शेड से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान | पौधों की प्रजातियाँ | मात्रा (संख्या में) |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, बेल, इमली, आंवला, कटहलए आम, अमरूद, जामुन और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ। | 1000 |

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | परिवहन मार्ग, (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) | नीम, आमए पीपल, सेमल, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, इत्यादि। | 200 |
| 3 | वनगावंहार के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में | कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवाए मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि। | 20 |
| 4 | गाँव वनगावंहार के ग्रामवासीयों में वितरण हेतु | बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, रूद्राक्षए सीता अशोक, मुनगा इत्यादि। | 2480 |
| | | योग | 3700 |

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम पंचायत के माध्यम से ऑगनवाड़ी केन्द्र वनगावंहार में बच्चों के लिये खिलौने एवं झूले प्रदान किये जाये।
- ग्राम के विकास कार्य के लिए ग्राम पंचायत को 20,000/– राशि का सहयोग प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

**परियोजना प्रस्तावक श्री अरूण यादव आत्मज स्व. श्री संतोष कुमार यादव, ग्राम राजगढ़, तहसील बिजौली, जिला झांसी (उ.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 44923 घन प्रतिवर्ष, रकबा 3.037 हेक्टेयर, खसरा 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, ग्राम वनगांवहार, तहसील ओरछा, जिला निवाड़ी (म.प्र.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी का आदेश क्र. 629 दिनांक 08.11.2021 के माध्यम से उक्त खदान को दिनांक 21.05.2028 तक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.05.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19. **प्रकरण क्र. 9720/2023 परियोजना प्रस्तावक दुर्गाप्रसाद नागर आत्मज श्री पन्नालाल नागर, निवासी ग्राम भाटखेड़ी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 950/1, ग्राम भाटखेड़ी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **खनिज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी रीवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **जल रोकने की संरचना से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 05 पेड़ो में से काटे जाने वाले 02 पेड़ो के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत रोपित 20 पौधों का सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यकम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

| कं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– खमेर, पीपल, सिस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, | 430 |

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | चिरोल आदि। | |
| 2. | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर) | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज, सफेद कस्टॉर आदि। | 300 |
| 3 | दूसरे वर्ष में ग्राम के नजदीक स्थित गौशाला परिसर में | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, करंज, आदि। | 100 |
| 4 | ग्रामीणों में पौधो का वितरण | स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आमला, आम, संतरा, सीताफल कटहल, मुनगा, जामफल आदि। | 1670 |
| | | योग | 2500 |

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम भाटखेडी के शासकीय प्राथमिक शाला में 01 प्रिन्टर, 01 कम्प्यूटर मय टेबल के साथ उपलब्ध कराई जाये।
- ग्राम भाटखेड़ी के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 स्ट्रेचर, 02 व्हील चेयर, एवं पदस्थ चिकित्सीय अधिकारी के परामर्श से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

**परियोजना प्रस्तावक दुर्गाप्रसाद नागर आत्मज श्री पन्नालाल नागर, निवासी ग्राम भाटखेड़ी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 950/1, ग्राम भाटखेड़ी, तहसील सारंगपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के पत्र क्र. 826 दिनांक 13.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.09.2032 तक वैध मान्य रहेगी।**

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

20. **प्रकण क्र. 9739/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री हुकुम सिंह लोधी आत्मज श्री कमल सिंह लोधी, निवासी ग्राम जम्बार, पोस्ट इमलिया, तहसील विदिशा, जिला विदिशा (म.प्र) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7002 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 186/1, ग्राम टोरी, तहसील विदिशा, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं SEAC की 632वी बैठक दिनांक 21.03.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) **खनिज विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी विदिशा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के मध्य भाग में विकसित रूट–स्टॉक भाग को संरक्षित किया जाये तथा इस भाग में कंटूर ट्रेंच बना कर उसमें सीड–सोइंग की जाये ।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

| क्रं. | प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान | पौधों की प्रजातियॉ | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | बैरियर जोन | नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां | 150 |
| 2. | परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर) | खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां | 350 |
| 3 | गैर खनन क्षेत्र | खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां | 400 |
| 4 | ग्रामवासियो में वितरण हेतु )ग्राम पंचायत जम्बार) | नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां | 600 |

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत जम्बार के चिन्हित क्षेत्र में | नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां | 200 |
| 6 | ग्राम पंचायत जम्बार के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में | कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां | 300 |
| | | योग | 2000 |

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम टोरी के आँगनवाड़ी केंद्र में दरी एवं झूले व अन्य आवश्यक सामग्री प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री हुकुम सिंह लोधी आत्मज श्री कमल सिंह लोधी, निवासी ग्राम जम्बार, पोस्ट इमलिया, तहसील विदिशा, जिला विदिशा (म.प्र) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7002 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 186/1, ग्राम टोरी, तहसील विदिशा, जिला विदिशा (म.प्र.) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्र. 3144 दिनांक 27.12.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 05 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.12.2027 तक वैध मान्य रहेगी।

---

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 780वी बैठक दिनांक 11.04.2023 का कार्यवाही विवरण**

परिशिष्ट–1

**गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:**

1. **संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की कुल मात्रा से अधिक का उत्खनन न हो।**
2. SEIAAद्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CERएवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
11. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

| (मुजीबुर्रहमान खान)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
17. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण(एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
22. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
23. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

| | | |
|---|---|---|
| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

**खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :—**

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
25. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

---

| (मुजीबुर्रहमान खान) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |